

14/01

11267/8

(12)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



वि. अ. लुलसी



वि. अ. लुलसी

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	-	रु० 3,00,105/-
बाजार मूल्य	-	रु० 2,36,250/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प-		रु० 30,100/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - लखनऊ
3. ग्राम - अहमामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 801 रकबा 0.135 हेक्टेअर स्थित ग्राम- अहमामऊ, परगना लखनऊ, तहसील व जिला लखनऊ।

वि. अ. लुलसी

वि. अ. लुलसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 286758

- 2 -

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 5. | मापन की ईकाई | - | हेक्टेअर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.135 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से
लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषि |
| 9. | पेड़ों की स्थिति | - | नहीं |
| 10. | बोरिंग/ कुआँ अन्य | - | कुछ भी नहीं है । |

चौहददी खसरा नं० 801

उत्तर	: खसरा नं०-803
दक्षिण	: खसरा नं०-738
पूरब	: खसरा नं०-800
पश्चिम	: खसरा नं०-835

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

म. सुल्तानपुरी

म. सुल्तानपुरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत
मन्दमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 286759

- 3 -

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
तुलसी पुत्र बली निवासी ग्राम अहमामऊ परगना तहसील जिला लखनऊ।	:	सूरजदीन पुत्र सुकरु निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो० नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि		व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख तुलसी पुत्र बली निवासी ग्राम अहमामऊ परगना तहसील जिला लखनऊ कहा गया है एवम् सूरजदीन पुत्र सुकरु निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो० नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

नि. ३. ६२७५१

नि. ३. ६२७५१

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 172940

- 4 -

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 801 रकबा 0.135 हे० स्थित ग्राम-
अहमामऊ, परगना लखनऊ, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व
काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षट्वार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00096 के
अनुसार भूमि विक्रेता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और विक्रेता के नाम
का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण
हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त
सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि
कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता
यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त

जम. लखनऊ

म-क-५८६३१

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 172941

- 5 -

एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिवा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य

अ. व. २३३

दि. २२.०६.०१

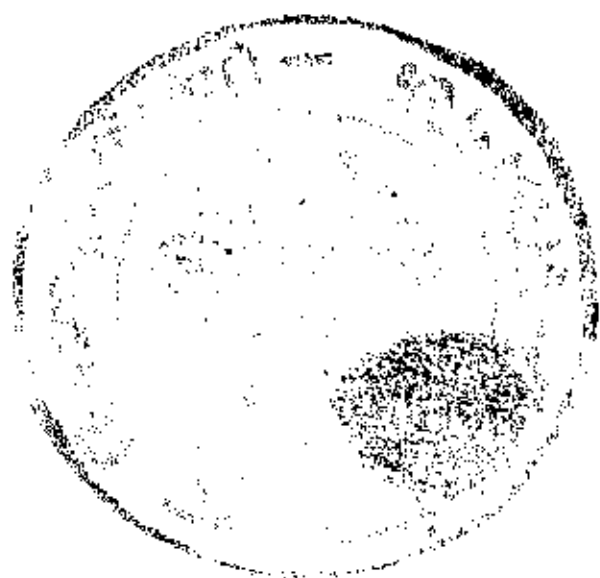
रु0 3,00,105/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

विम. हुलसी



12.3.2017





यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु० 17,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.135 हेक्टेअर की कुल मालियत 2,36,250/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 30,100/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी

जि. सु. सु.



12.3.2017



विक्रय पत्र

300,105.00/ 237,000.00

5,000.00

20

5,020.00

1,000

प्रतिफल मालियत
श्री/श्रीमती तुलसी
पुत्र/पत्नी श्री बली

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

रि 30



पेशा कृषि
निवासी स्थायी ग्राम अहमामऊ पर.तह.व जिला-लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 5/12/2006 समय 4:08PM
वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

ओ.पी.सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

5/12/2006

निष्पादन लेखपत्राद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता

श्री/श्रीमती तुलसी
पुत्र/पत्नी श्री बली
पेशा कृषि

निवासी ग्राम अहमामऊ पर.तह.व जिला-लखनऊ

क्रेता

श्री/श्रीमती सूरजदीन
पुत्र/पत्नी श्री सुकरू
पेशा कृषि

निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो.नीगांव तह.व
जि.फतेहपुर



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार सिन्हा

पुत्र श्री जी.सी.सिन्हा

पेशा व्यापार

निवासी 288,आर्या नगर,लखनऊ

व श्री राजू पाल

पुत्र श्री मदन मोहन

पेशा कृषि

निवासी अर्जुनगंज,लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



ओ.पी.सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

5/12/2006

पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रु0 3,00,105/- द्वारा चेक संख्या-471717 दिनांकित 02.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 3,00,105/- (रूपया तीन लाख एक सौ पांच मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लखनऊ:

दिनांक : 04.12.2006

गवाह :

1. *सुनील कुमार सिंह*
Sunil Kumar Singh
3/05/16 G.C. Singh
288 Arjo
240

विक्रेता

2. *मदन मोहन*
21/12/16
अर्जुन
(लखनऊ)

दि. 2. 12. 2006

क्रेता

टाईपकर्ता

(मोनु कुमार)

सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(बेंकट रमन सिंह)

एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 11267

Year : 2006

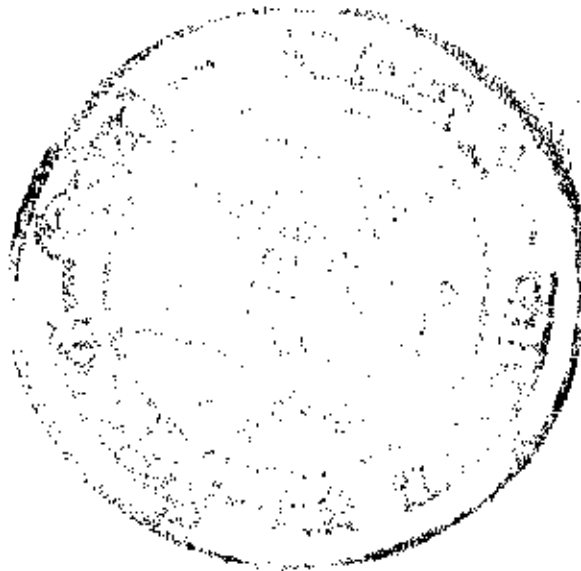
Book No. 1

0101 तुलसी

बली

ग्राम अहमामऊ पर.तह.ब जिला-लखनऊ

कृषि



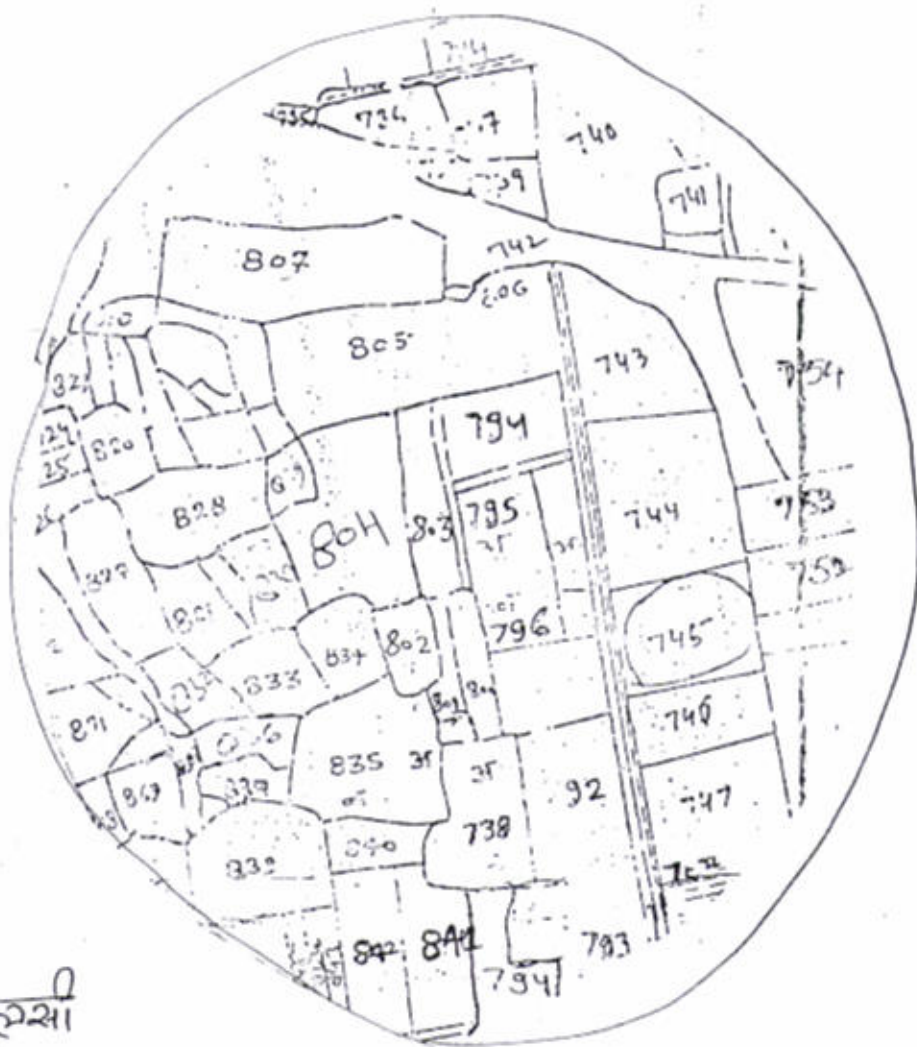
ग्राम के नाम

परगना नं० तहसील का

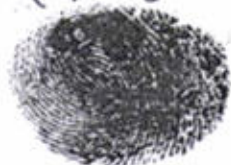
मिला - एक

खसरा नं० - 801

रकबा 0.135 है.



मि. अ. अ. अ.



विलेन

मि. अ. अ. अ.



र. र.

केता

Registration No. 11267

Year : 2006

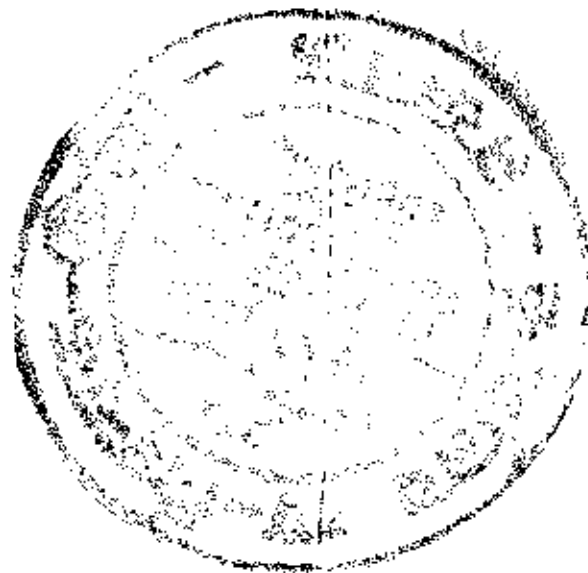
Book No. 1

0201 सुरजदीन

सुकरु

ग्राम मिर्जापुर मित्तारी पो.नौगांव तह.व जि.फतेहपुर

कृषि



● रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,
फिंगर प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- तुलसी रो अदमरु बल्लभ

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- सुरज दीन विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

बांये हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 05/12/2006 को
बही सं 1 जिल्द सं 6229
पृष्ठ सं 105 से 124 पर क्रमांक 11267
रजिस्ट्रीकृत किया गया।


ओ.पी.सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
5/12/2006

